कार्यालय
गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्या– 680/सी /शोध एवं समन्वय दिनांक 10, नवम्बर, 2017

1–समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,
2–समस्त उप चीनी आयुक्त,
3–समस्त जिला गन्ना अधिकारी,
4–समस्त सहायक चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–गन्ना माफियाओं द्वारा की जाने वाली गन्ने की अवैध खरीद पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में।

पेराई सत्र 2017–18 में अधिकांश चीनी मिलों का संचालन शुरू हो चुका है और शेष चीनी मिलें शीघ्र ही अपना पेराई सत्र शुरू कर रही हैं। सत्र के दौरान चीनी मिलों के साथ–साथ क्षेत्र में स्थापित कोल्हू केशर भी गुड़/खाण्डसारी उत्पादन हेतु गन्ने की खरीद करने हेतु स्वतंत्र है किन्तु इनके अतिरिक्त कतिपय क्षेत्रों में सक्रिय गन्ना माफियाओं के द्वारा अवैधानिक रूप से गन्ने की खरीद–फरोख्त की जाती है जिससे न केवल शासन द्वारा नियमबद्ध गन्ना खरीद की व्यवस्था खण्डित होती है वरन् गन्ना किसानों को अपना गन्ना इन माफियाओं को औने–पौने दाम में बेचने हेतु मजबूर होना पड़ता है जिससे सीधे–सादे किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है और सरकार की छवि भी खराब होती है। अवैध गन्ना खरीद एवं दूसरे चीनी मिल क्षेत्रों से गन्ना पोचिंग की प्रवृत्ति के कारण कतिपय चीनी मिलों की संलिप्तता भी हो जाने पर इन गन्ना माफियाओं की गतिविधियां और भी बढ़ जाती है जो शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनती है। अतः ऐसे मामलों में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि अवैध गन्ना खरीद में लिप्त माफियाओं के विरूद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए उनकी अवैधानिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

उपर्युक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद/परिक्षेत्र के चीनी मिल/गन्ना क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे गन्ना माफियाओं द्वारा किसी क्षेत्र में गन्ने की अवैध खरीद तो नहीं की जा रही है अथवा किसी चीनी मिल को आवंटित क्षेत्र से गन्ने की पोचिंग कर दूसरी चीनी मिल को अनुचित रूप से आपूर्ति तो नहीं किया जा रहा है। यदि किसी क्षेत्र में ऐसे गन्ना माफियाओं द्वारा अवैध कांटे संचालित करने अथवा गन्ने की अवैध खरीद किये जाने की स्थिति प्रकाश में आती है तो उसकी वीडियो ग्राफी/फोटो ग्राफी तत्काल कराई जाए और संलिप्त माफियाओं को चिन्हित किया जाए। तदोपरान्त इन गन्ना माफियाओं के विरूद्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत तत्काल नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। यदि ऐसे प्रकरणों में किसी चीनी मिल प्रबन्धन की भूमिका भी परिलक्षित होती है तो विधिक कार्यवाही में उन्हें भी शामिल कर कार्यवाही अमल में लाई जाए।

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त कार्यवाही के साथ–साथ सम्बन्धित गन्ना माफियाओं के नाम सहित सम्पूर्ण साक्ष्य यथा–वीडियो ग्राफी, फोटो ग्राफी, स्थलीय गवाह, अभिलेखीय साक्ष्य आदि का विवरण सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही कर इन्हें तीन माह के लिए निरूद्ध कराने की कार्यवाही अमल में लाई जाए।

यदि स्थानीय स्तर पर ससमय प्रभावी कार्यवाही नहीं होती है और इसकी शिकायत मुख्यालय स्तर पर प्राप्त होती है अथवा ऐसे प्रकरण मुख्यालय के जांच दल के भ्रमण में प्रकाश में आते हैं तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सहायक चीनी आयुक्त एवं जिला गन्ना अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः 680 /सी तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उ.प्र. को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास उ.प्र. शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. समस्त जिला अधिकारी, गन्ना उत्पादक जनपद, उ.प्र.।
4. समस्त अधिकारी, मुख्यालय को सूचनार्थ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ।
7. समस्त अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक चीनी मिलें, उ.प्र.।

10.11.17
(वी. के. शुक्ल)
अपर गन्ना आयुक्त(शोध–समन्वय)।

Scanned by CamScanner